

20/5

पत्रावली भेज लें। ककुलास फरीकन लर।  
आहूण बत्रावली कौर फोर्ट/ लोक अदा।  
दें किनांक 4.6.18 को पेश हो।

रूप  
रस ही ओ/ लंड

4/18

पत्रावली कुरुम कोर 2 अवाल में पेश लें। प्रवेसी-01  
। कास- 3 को लमीन जारेरै RAI से चुकी है।  
पुचन अउ नही उनको सिमाना EX पोस्ट को  
जारी है संक वाली का वर डिप्टी लेख जारा है।  
निर्देश पुचन से शारीक पत्रावली लेखा जाए। लमीन  
किसी अउ गार डेकर गउवर से काग हो तथा वर  
लमीन लेख गउसर है। रूप

राजस्थान सरकार

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटका  
( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट ) कैम्प. के अवा. 14

पीठासीन अधिकारी

श्री विजय मिश्र जीजा R.A.S

उनवान

बनाम

श्री अशोक

दावा बाबत:-

कं. अ. 188 R.T.A. का

मुकदमा नम्बर:-

230/17

निर्णय दिनांक:-

4.6.2018

वादी की ओर से

श्री अशोक

की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में आज तारीख

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि -

( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अनिश्चित

ख. नं. 596/0-16 वी. व. का शोभ आर. पुर के विवाह शोभाजी

के लिए किया जा रहा है परिवारों को जाति निर्धारण के लिए

किया जा रहा है विवाह शोभाजी के वादी को महाश्वर का महाश्वर

पेश जा करे, आशुजी को जीतने कसब वी. के करने समझने में

होना व बस पेश जा करे राग स्व रिपोर्ट एवं शोभाजी को

कार्य में है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 4.6.18 को मौ हस्ताक्ष से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( विजय मिश्र जीजा R.A.S

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे